93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 526-तीन/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-2003 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना - प्रकरण कमांक 161/02-03 अपील

1- हरनाम सिंह पुत्र माधौ सिंह
2- पृथ्वी पुत्र लटूृ
3- गोरे पुत्र रामदयाल तीनों बढ़ई
ग्राम पुरा बड़ेरा तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड --आवेदकगण

विरूद्ध

1- सरदार सिंह 2- दयाल सिंह 3- सेवासिंह
सभी निवासी ग्राम पुरा बड़ेरा तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश -- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 16 - 5 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 161/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.03 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त अमायन तहसील मेहगॉव के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पुरा वड़ेरा के उनके खाते की भूमि पर आवेदकगण ने कब्जा कर लिया है, कब्जा हटाया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण कमांक 3/93-94 अ 70 दर्ज कर आदेश दिनांक 7-10-94 पारित किया तथा आवेदकगण को अनावेदकगण की भूमि पर से कब्जा हटाने के

आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 54/95-96 में पारित आदेश दिनांक 27-2-97 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर अपील स्वीकार करते हुये नायव तहसीलदार वृत्त अमायन को पुनः जांच एंव कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 798-तीन/98 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 1-9-99 से निगरानी निरस्त की गई।

नायव तहसीलदार अमायन के समक्ष प्रकरण वापिस होने पर प्रकरण कमांक 3/2000-0.1 अ 70 में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 3-8-2002 पारित किया गया तथा राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी को निर्देश दिये गये कि वह स्थल देखें एंव भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पंर बेजा कब्जा पाया जायें, तो अतिक्रमण हटाया जावे एंव इससे प्रथक स्थिति पाई जाय, तब जांच प्रतिवेदन पेश करें। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 121/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-03 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 161/02-03 में पारित आदेश दिनांक 30.12.03 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार , अमायन ने प्रकरण कमांक 3/2000-01 अ 70 में दोनों पक्षों की सुनवाई की है तदुपरांत आदेश दिनांक 3-8-2002

पारित करके राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी को निर्देश दिये हैं कि वह स्थल देखें एंव भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर बेजा कब्जा पायें, तब अतिक्रमण हटा दिया जावे एंव इससे प्रथक स्थिति पाई जाय तब जांच प्रतिवेदन पेश करें। नायव तहसीलदार का आदेश प्रमाणित करता है कि नायव तहसीलदार के आदेश से किसी पक्ष विशेष को व्यक्तिशः हानि नहीं है अपितु वास्तविक स्थिति अनुसार कार्यवाही के निर्देश राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी को दिये गये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 121/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-4-03 से एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने अपील प्रकरण कमांक 161/02-03 में पारित आदेश दि0 30.12.03 से नायव तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदकगण की मॅशा से प्रकट है कि आवेदकगण प्रकरण की वास्तविक स्थिति में न्यायालय को पहुंचने देना एंव न्याय करने से रोकने के उद्वेश्य से वरिष्ठ न्यायालय में व्यर्थ आधारों पर अपील/निगरानी प्रस्तुत कर रहे है जिसके कारण आवेदकगण को विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त करते हुये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 161/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.03 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर